

राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग


क्रमांक प.4(4)वित्त/आब/2013

जयपुर, दिनांक : 20 अक्टूबर, 2020

आदेश

मध्यप्रदेश राज्य के विधानसभा के उप चुनाव, 2020 हेतु मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रम संख्या 186 आगर (जिला आगर मालवा) में दिनांक 03.11.2020 को मतदान करवाये जाने का निर्णय लिया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 ग के प्रावधानानुसार इस निर्वाचन क्षेत्र की राजस्थान राज्य के झालावाड़ जिले से लगती हुई सीमा के 3 किलोमीटर क्षेत्र में दिनांक 01.11.2020 को सायं 06.00 बजे से दिनांक 03.11.2020 को सायं 06.00 बजे तक सूखा दिवस घोषित किया जाता है।


आज्ञा से,



(ऑंकारमल राजोतिया)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया संबंधित अधिकारियों को निर्देश प्रदान करें कि मदिरा की बिक्री, व्यक्तियों द्वारा संग्रहण तथा वितरण से संबंधित मद्य निषेध नियमों व आदेशों/निर्देशों की सख्ती से पालना करें।
6. निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जयपुर।
7. तकनीकी निदेशक, (कम्प्यूटर सैल) वित्त विभाग।
8. जिला कलक्टर झालावाड़।
9. जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला आगर, मालवा, मध्यप्रदेश को आपके पत्रांक आब/वि.स. उप. निर्वा./2020/1308(R) दिनांक 15.10.2020 के संबंध में।
10. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, कोटा।
11. जिला आबकारी अधिकारी, झालावाड़।
12. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव